

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम जोधपुर (३)

प्रगाण पत्र

फाउण्डेशन ट्रस्ट रातानाडा जोधपुर द्वारा संचालित यूरो इन्टरनेशनल स्कूल शिकारगढ़ उचियाडा पं०स० मण्डोर जोधपुर, को राजस्थान राज्य में सरकारी लिए शिक्षा के लक्ष्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं को लक्ष्य पापि के लिए जिमाई जा रही भूमिका के दृष्टिगत श्रीमान यशासन उपराजित के पात्रांक प-९ (३) शिक्षा-५/ऑनलाईन मान्यता/२०१५ पाठ्य जयपुर दिनांक ३०.०६.१६ एवं श्रीमान निदेशक महादेव प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान शीकानेर के पत्रांक शिविरा/प्रारंभिक/सी०एफ०/१९६२६/ऑनलाईन मान्यता/२०१६-१७ दिनांक ३०.०६.१६ द्वारा जारी विज्ञापि के क्रम में संस्था द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र एवं सक्षम रत्तर पर निरीक्षण एवं अनुमोदन सुपरान्त निम्न रातों एवं अनुबंधों के आधार पर सत्र २०१६-१७ से सच्च प्रारंभिक स्तर पर मान्यता/कमोन्नति कर (माध्यम-अंग्रेजी में) संचालन करने की खीकृति जारी की जाती है।

१. संस्था द्वारा प्रस्तुत राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम १९९३ के परिशिष्ट-१ में अंकित सूचनाएं परिशिष्ट-२ में यथा निर्दिष्ट निर्बन्धों तथा शर्तों की पूर्ति एवं इस बात के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार कभी पापे जाने पर जारी प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निररत किया जा सकता है।

२. संस्था द्वारा राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा एवं ल्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने पर आदेशों, निर्देशों व अनुदेशों का तत्परता से पालन करने एवं उनसे समय-समय पर मांगी जाने वाली अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु संस्था पाबंद होगी। अवमानना की स्थिति में जारी प्रमाण-पत्र प्रत्याहरित करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

३. संस्था के विद्यार्थी किसी अन्य गैर सरकारी शिक्षण संस्था अथवा सरकारी विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे, परन्तु इस प्रयोजनार्थ इन्हें संस्था द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित रामान परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

४. राजस्थान सरकार के नवीन निर्देशानुसार प्रत्येक संस्था को प्रत्येक तीन वर्ष में अपने द्वारा, विद्यालय भवन का 'भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र' मय ल्लू प्रिंट के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर करना होगा।

५. राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान नियम १९९३ के नियम २३ के अनुरूप कार्यकारिणी का कर प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को समय-समय पर प्रस्तुत करनी होगी।

६. संस्था द्वारा संचालित विद्यालय को प्रमाण-पत्र जारी करने के वर्ष २०१६ में कक्षा ६, २०१७ में कक्षा ८, २०१८ में कक्षा १० प्रारम्भ कर सकेंगे।

७. अभिभावक/छात्र के द्वारा T.C. चाहने पर नियमानुसार जारी करेंगे एवं प्रधानाध्यापक के परिवर्तन की सूचना परिवर्तन के साथ ही हस्ताक्षर प्रमाणित कर प्रस्तुत करेंगे।

८. विभाग की पूर्व खीकृति के बिना शाला संचालन स्थान का परिवर्तन नहीं किया जाये।

९. सूचना के अधिकार के तहत आपके विद्यालय से समस्त सूचनाएं मांगने पर प्रस्तुत करनी होगी।

१०. ऑरटीई (RTE) के नियमों की पालना करनी होगी।

क्रमांक : जिशिअ/प्राशि/जोध/मान्यता/२०१६/एफ-२०/...५५५.

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर
दिनांक : २३०३।१७

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

१. श्रीमान निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, शीकानेर।
२. श्रीमान उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर मण्डल, जोधपुर।
३. श्रीमान ल्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जोधपुर।
४. फाउण्डेशन ट्रस्ट रातानाडा जोधपुर।
५. कार्यालय पंजिका।

Neha Mathur

PRINCIPAL
Euro International School
Uchiyarda, Jodhpur (Raj.)

Neha Mathur
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, जोधपुर